

# कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

क्रमांक 60 /स्था./2025

दिनांक : 14-02-25

:: आदेश ::

अध्यक्ष, पदोन्नति समिति, द्वारा अनुशंसा किये जाने पर निम्न रीडर ग्रेड-11/शेरिस्टेदार ग्रेड-11/कार्यालय सहायक कर्मचारीगण को राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम 1986 समय समय पर यथा संशोधित नियम के तहत रीडर ग्रेड-1/शेरिस्टेदार ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता रखने के कारण इनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पूर्णतः अस्थाई तौर पर रीडर ग्रेड-1/शेरिस्टेदार ग्रेड-1 के पद पर राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग के पत्र संख्या प.26(35)न्याय/2017 पार्ट दिनांक 02.11.2017 के अनुरूप वेतन श्रृंखला 9300-34800 ग्रेड-पे 4200/- एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 के तहत नियमानुसार पे-मैट्रिक्स में लेवल एल-11 के अनुसार वेतन स्वीकृत किया जाकर निम्नानुसार पदोन्नत किया जाता है :-

क्रम संख्या	कार्मिक का नाम	पदोन्नती होने की दिनांक	विशेष विवरण
1	श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री मानसिंह राठौड़	01.04.2020	-
2	श्री गणपत लाल ओझा	01.12.2020	-
3	श्री भारत सिंह	01.01.2021	-
4	श्री राहुल कुमार स्वर्णकार	01.06.2021	-
5	श्री संजय मन्डडा	01.07.2021	-
6	श्री कृष्णगोपाल तोलम्बिया	21.04.2022	-
7	ललिता मण्डावरिया (SC)	01.06.2022	-
8	श्री शरद कुमार शर्मा	01.01.2023	-
9	श्री प्रफुल्ल कुमार शर्मा	01.02.2023	-
10	श्रीमती कल्पना जैन	01.03.2023	-
11	श्रीमती रेखा जैन	01.07.2023	-
12	श्री रामसिंह मीणा	01.10.2023	-
13	श्री रणजीत सिंह राठौड़	01.01.2024	-

नोट :-

- उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावे एवं नियमानुसार कर्मचारी का वेतन नियतन किया जावे। कर्मचारी को उक्त पदोन्नति का काल्पनिक लाभ पदोन्नति तिथि से तथा नकद लाभ कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।
- उपरोक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई तौर पर की जा रही है। कर्मचारियों का कार्य व्यवहार व आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा पदों में किसी प्रकार की कमी होने अथवा किसी पूर्व कर्मचारी की पुनः नियुक्ति होने पर कर्मचारी के किसी भी दस्तावेज में कोई कमी पाई जाने पर इन्हें बिना किसी नोटिस के इनके पूर्व पद पर पदावतत किया जा सकेगा।
- उपरोक्त सूची के क्रम संख्या 10 पर उल्लेखित कर्मचारी के 2 से अधिक संतान होने से राजस्थान सरकार डिपार्टमेंट ऑफ परसनल के परिपत्र क्रमांक एफ.3 (33)डीओपी/ए-11/85 पीटी दिनांकित 24 सितम्बर 2024 के अनुसार कार्मिक को वार्षिक वेतनवृद्धि 03 वर्ष के लिए नोशनल प्रदान की जावे तथा इस अवधि के वेतन भत्ते का एरियर देय नहीं होगा।
- उक्त पदोन्नतियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में ललित सभी रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगी तथा राज्य सरकार व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों/आदेशों के अधीन अन्यथा पाए जाने पर, उक्त आदेश में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।
- उक्त कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक से प्रसारित किये जाएंगे।

06. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पदोन्नति आदेश के संबंध में लंबित समस्त रिट याचिकाओं के निर्णयाधीन उक्त आदेश में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि कोई कर्मचारी उपरोक्त आदेशानुसार पदावनत होता है तो उसके द्वारा आहरित की गई अधिक राशि नियमानुसार वसूलनीय होगी।
07. यदि कर्मचारी पूर्व से ही रीडर ग्रेड-1/शेरिस्तेदार ग्रेड-1 के पद का वेतनमान चयनित वेतनमान के रूप में वेतन आहरित कर रहे हो तो, इस पदोन्नति परिणामस्वरूप राजस्थान सेवा नियम के नियम 26-ए के अन्तर्गत इस पदोन्नति पर वेतन नियतन का कोई लाभ देय नहीं होगा।

— 5/ —  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
भीलवाड़ा

क्रमांक: स्था / 2025 / ..... 696

दिनांक : 14/12/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- संबंधित न्यायालय आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न कर उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में करे एवं एक प्रति अपने अधीनस्थ सम्बंधित कर्मचारी को अपने स्तर पर दिलवाया जाना सुनिश्चित करे।
- 2- अध्यक्ष, पदोन्नति समिति, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, भीलवाड़ा
- 3- लेखानुभाग जिला न्यायालय भीलवाड़ा / संबंधित न्यायालय लेखानुभाग
- 4- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय भीलवाड़ा को जिला न्यायालय भीलवाड़ा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- स्थापनानुभाग, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा

— 5/ —  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
भीलवाड़ा